

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/उप निदेशक का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-11"- के अन्तर्गत सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत गेम रेंज खोड़ के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	1.462 हेक्टेयर		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	अधीक्षक	परियोजना स्थल
		सूरजपुर	तमोर पिंगला अभ्यारण्य रमकोला	गेम रेंज खोड़ के अधीनस्थ ग्राम पंचायत
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण			
क. आरक्षित वन	गेमरेंज का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
	खोंड	खोंड	909	0.119
	खोंड	खोंड	910	0.121
	खोंड	खोंड	911	0.003
	खोंड	खोंड	914	0.1
	खोंड	अरचोका	928	0.001
	खोंड	अरचोका	929	0.002
	खोंड	अरचोका	929	0.002
	खोंड	ईजानी	879	0.01
	खोंड	टमकी	880	0.02
	खोंड	टमकी	882	0.053
	योग			0.431
ख. संरक्षित वन	गेमरेंज का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
	खोंड	खोंड	P227	0.02
	खोंड	छतौली	228	0.086
	खोंड	खोंड	897	0.045
	खोंड	खोंड	899	0.083
	खोंड	खोंड	900	0.072
	खोंड	खोंड	P227	0.046
	खोंड	पासल	P226	0.062
	खोंड	ईजानी	P223	0.173
	खोंड	ईजानी	P223	0.087

		खोंड	ईजानी	P224	0.043
		खोंड	ईजानी	P225	0.111
		खोंड	टमकी	884	0.101
		खोंड	टमकी	885	0.063
		योग			0.992
	ग. राजस्व वन क्षेत्र	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		ओड़गी	खोड़	1	0.010
		ओड़गी	खोड़	7	0.004
		ओड़गी	खोड़	9	0.005
		ओड़गी	खोड़	11	0.005
		ओड़गी	खोड़	714	0.003
		ओड़गी	खोड़	716	0.006
		ओड़गी	ईजानी	317	0.006
		योग			0.039
	कुल योग :-				1.462 हेक्टर
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित क्षेत्र में मिश्रित वन है। प्रस्तावित ओ. एफ.सी. लाइन विद्यमान राइट-ऑफ-वे के सीमा में ही किया जाना है।			
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	मार्गों के मौजूदा राइट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है। वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।			
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति सामान्य है।			
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यकता नहीं है।			
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं			
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारापूर्व	मार्गों के मौजूदा राइट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है।			

	स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	
12.	आवेदति क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	निरंक

प्रमाण — प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।
आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य रमकोला अंतर्गत गेमरेंज खोड़
जिला — सूरजपुर छत्तीसगढ़

दिनांक : 19/07/2020


 (श्रीमती प्रभाकर खलखो)
 उप निदेशक
 एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
 अम्बिकापुर (छ0ग0)